

प्रेषक,

विम्मी सचदेवा रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अभियोजन, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

गृह अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक-13 अप्रैल, 2018

विषय:-

अभियोजन अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018, दिनांक-02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय 2018-19 के आय-व्ययक में अभियोजन अधिष्ठान हेतु वचनबद्ध मदों एवं अबचनबद्ध मदों में संलग्न अलोटमेंट आई डी-S1804100135, दिनांक-10.04.2018 के विवरणानुसार अवशेष धनराशि ₹8,82,06,000/- (₹आठ करोड़ बयासी लाख छः हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)2012, दिनांक-28.03.2012 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से निर्गत धनराशि का बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाय।

3- जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आवश्यक हों, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य प्रभावी वित्तीय नियमों का पालन किया जाय तथा शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता संबंधी निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

4- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक (पूर्व माह की सूचना) उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जनपद स्तर पर विभिन्न मदों में की गयी धनराशि के आवंटन का विवरण भी शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-13-00 के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,


(विम्मी सचदेवा रामन)
अपर सचिव।

संख्या-337 (1)/ XX-6 /2018-02(07)2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 3- वित्त नियंत्रक, अभियोजन निदेशालय, देहरादून।
- 4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)

अनु सचिव।